



## प्रेस नोट

### जनपद सीतापुर

## “ऑपरेशन पाताल” के तहत 02 TOP 10 सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कुल 03 अवैध शस्त्र बरामद

दिनांक 29.05.22

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा “ऑपरेशन पाताल” चलाकर अपराध को अपनी आय का स्रोत बना लेने वाले अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए गए थे।

पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपदीय पुलिस को “ऑपरेशन पाताल” चलाकर सघन चेकिंग एवम् अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देशों के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस टीमों द्वारा सघन अभियान चलाकर विभिन्न स्थानों से कुल 03 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार 02 अभियुक्त टॉप 10 अपराधी भी है। जिनसे कुल 03 अवैध शस्त्र व कारतूस बरामद हुए हैं। थाना मानपुर व बिसवां से गिरफ्तार अभियुक्तों पर पूर्व में विभिन्न अपराधों (लूट/चोरी/नकबजनी/अवैध शराब) से संबंधित धाराओं में कई अभियोग पंजीकृत हैं। थानावार विवरण निम्नवत् है-

क्र.सं	थाना	अभियुक्तों की संख्या	ऑपरेशन पाताल के अन्तर्गत कार्यवाही	
			पंजीकृत अभियोग	शस्त्र विवरण
1	मानपुर	01 टॉप 10	01	01
2	बिसवां	01 टॉप 10	01	01
3	अटरिया	01 अन्य	01	01
<b>योग</b>		<b>02 टॉप 10, 01 अन्य</b>	<b>03</b>	<b>03</b>

1. थाना मानपुर द्वारा 1 अवैध तमंचा/कारतूस सहित टॉप 10 अभियुक्त गिरफ्तार:- थाना मानपुर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान टॉप 10 अभियुक्त अजय यादव पुत्र सुरेन्द्र यादव निवासी ग्राम दासापुर थाना मानपुर सीतापुर को 01 अदद अवैध देशी तमंचा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामद अवैध शस्त्र के संबंध में मु0अ0सं0 152/22 धारा 25(1-B आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया है। **उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त टॉप 10 अपराधी भी हैं, जिसके विरुद्ध लूट/अवैध शस्त्र जैसे अपराध में पूर्व में करीब एक दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।**
2. थाना बिसवां द्वारा अवैध तमंचा/कारतूस सहित 01 टॉप 10 अभियुक्त गिरफ्तार:- थाना बिसवां पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान हिस्ट्रीशीटर H.S NO –A3281 एवम् टॉप 10 अपराधी रमेश पुत्र ताजेलाल निवासी ग्राम शहरी सराय थाना बिसाव जिला सीतापुर को 01 अदद तमंचा व कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामद अवैध शस्त्र के संबंध में मु0अ0सं0 239/22 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया है। **उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त टॉप 10 व मजारिया हिस्ट्रीशीटर अपराधी भी हैं, जिसके विरुद्ध लूट/चोरी/नकबजनी/अवैध शस्त्र आदि विभिन्न धाराओं में करीब दो दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।**
3. थाना अटरिया द्वारा अवैध तमंचा/कारतूस सहित अभियुक्त गिरफ्तार:- थाना अटरिया पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त शोभित मिश्रा पुत्र सिद्धनाथ मिश्रा निवासी नयागांव थाना अटरिया जनपद सीतापुर को एक अदद देशी नाजायज तमंचा व अदद कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। अवैध शस्त्र बरामदगी के संबंध में मु0अ0सं0 147/22 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है।



